वज्रपात पूर्वचेतावनी प्रसारण
हेतु
मानक संचालन प्रक्रिया

उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

प्रस्तावना :–

उ0प्र0 प्रति वर्ष विभिन्न प्रकार की आपदाओं से प्रभावित होता है। भौगोलिक रूप से विविधता होने के कारण बाढ़, सूखा, भूकम्प, वज्रपात जैसी आपदाएं प्रदेश में व्यापक जनहानि का कारण बनती हैं। प्रदेश में विगत लगभग तीन वर्षो से वज्रपात की घटनाओं में व्यापक वृद्धि पायी गयी है। वज्रपात के कारण प्रति वर्ष लगभग 300–350 जनहानि औसत रूप से प्रदेश में दर्ज की गयी हैं एवं इसके अतिरिक्त वज्रपात के कारण प्रतिवर्ष होने वाली पशुहानि भी चिंता का विषय है।

वज्रपात प्रमुख रूप से मौसम में होने वाले बदलाव के कारण होता है जिसकी पूर्व चेतावनी मौसम विभाग (IMD) द्वारा लगभग 72 घंटे पूर्व forecast के रूप में चेतावनी दी जाती है एवं तीन घंटे पूर्व nowcast के रूप में पुनः प्रसारित की जाती है। वज्रपात के कारण जनहानि को कम करने हेतु आवश्यकता है कि पूर्व चेतावनी को ग्राम स्तर तक जनमानस में यथासमय पहुंचाया जा सके तथा जनमानस को वज्रपात के समय क्या करें क्या न करें की जानकारी से अवगत कराया जाय।

वज्रपात की चेतावनी को ग्राम स्तर तक प्रचार–प्रसार करने हेतु राज्य सरकार के 03 विभागों को उपयोग में लाया जाना प्रस्तावित है। उक्त 03 विभाग पूर्व चेतावनी तंत्र के 03 स्तम्भों के रूप में कार्य करेंगे।

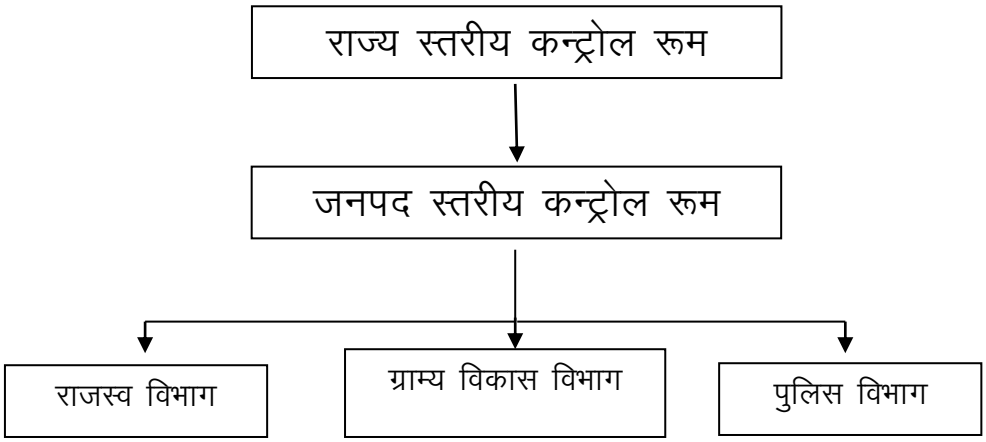

उद्देश्यः–

पूर्व चेतावनी तंत्र विकसित कर मौसम विभाग के माध्यम से वज्रपात से सम्बन्धित प्राप्त पूर्व चेतावनी को ग्राम स्तर तक प्रसारित किया जाना एवं वज्रपात से होने वाली जनहानि एवं पशुहानि को न्यूनतम करना।

स्कोपः–

पूर्व चेतावनी तन्त्र को मूल रूप से 02 भागों में विभाजित किया गया है।

भाग–1 :– पूर्व तैयारी।

भाग–2 :– मानक संचालन प्रक्रिया।

भाग–1

पूर्व तैयारी :–

राज्य स्तर पर पूर्व तैयारी से सम्बन्धित कार्य	दायित्व
• राज्य स्तर पर इमर्जेन्सी आपरेशन सेंटर को वज्रपात की पूर्व चेतावनी प्रसारण हेतु क्रियाशील किया जाना। • इमर्जेन्सी आपरेशन सेंटर में कार्यरत कार्मिकों को पूर्व चेतावनी प्रसारण की ट्रेनिंग प्रदान किया जाना। • राज्य स्तर पर सभी अधिकारियों/कार्मिकों को दामिनी ऐप के सम्बन्ध में जानकारी प्रदान करना तथा अनिवार्य रूप से दामिनी ऐप डाउनलोड करवाना। • सभी आपदा विशेषज्ञों से आनलाइन बैठक कर पूर्व चेतावनी प्रसारण तंत्र एवं दामिनी ऐप के प्रयोग किये जाने से सम्बन्धित आवश्यक ट्रेनिंग एवं दिशा निर्देश प्रदान किया जाना।	परियोजना निदेशक इमर्जेन्सी आपरेशन, उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण
जनपद स्तर पर पूर्व तैयारी से सम्बन्धित कार्य	**दायित्व**
• जनपद स्तर पर इमर्जेन्सी आपरेशन सेंटर को वज्रपात की पूर्व चेतावनी प्रसारण हेतु क्रियाशील किया जाना। • इमर्जेन्सी आपरेशन सेंटर में कार्यरत कार्मिकों को पूर्व चेतावनी प्रसारण की ट्रेनिंग प्रदान किया जाना। • जनपद, ब्लाक, तहसील तथा ग्राम स्तर तक सभी अधिकारियों/कार्मिकों को दामिनी ऐप के सम्बन्ध में जानकारी प्रदान करना तथा अनिवार्य रूप से दामिनी ऐप डाउनलोड करवाना। • लेखपाल, ग्राम विकास अधिकारी तथा ग्राम प्रधान के माध्यम से ग्रामवासियों को वज्रपात के समय क्या करें क्या न करें की जानकारी से अवगत कराना एवं व्यापक रूप से प्रचार–प्रसार किया जाना।	• अपर जिलाधिकारी (वि/रा)। • आपदा विशेषज्ञ उल्लिखित समस्त कार्यों में अपर जिलाधिकारी (वि/रा) को यथा आवश्यक सहयोग सुनिश्चित करेंगे।

भाग–2

मानक संचालन प्रक्रिया

- मौसम विभाग (IMD) द्वारा लगभग 72 घंटे पूर्व forecast के रूप में चेतावनी दी जाती है एवं 03 घंटे पूर्व nowcast के रूप में वज्रपात/थण्डर स्टार्म के संभावित क्षेत्रों की जनपदवार जानकारी राज्य स्तरीय कन्ट्रोल रूम तथा संबंधित जिलाधिकारियों को ई–मेल तथा मोबाइल के माध्यम से प्रेषित की जाती है जिसके आधार पर पूर्व चेतावनी प्रसारण की प्रक्रिया निम्नवत की जायेगी।

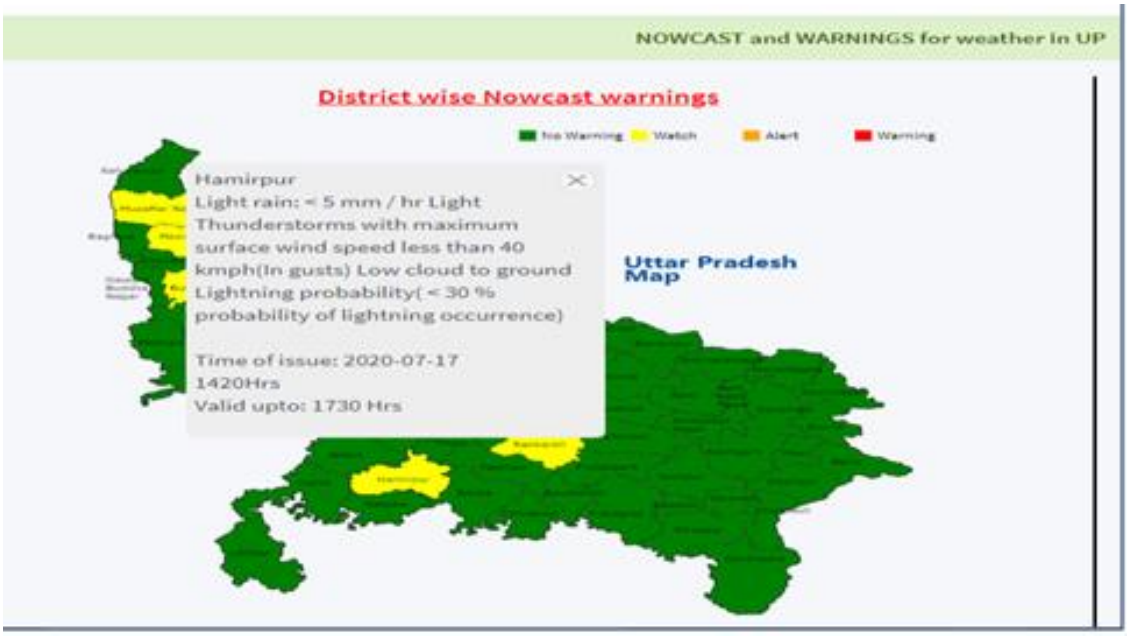

मौसम विभाग द्वारा जारी चेतावनी का प्रारूप

चरण	प्रक्रिया	दायित्व	समय
प्रथम	• 72 घंटे पूर्व प्राप्त चेतावनी को सभी प्रभावित जनपदों के जिला स्तरीय कन्ट्रोल रूम को प्रसारित करना एवं जनपद के जिलाधिकारी, एस0पी0/एस0एस0पी0, मुख्य विकास अधिकारी तथा आपदा विशेषज्ञ को सचेत किया जायेगा। • 03 घंटे पूर्व nowcast के रूप में प्राप्त चेतावनी को राज्य स्तरीय कन्ट्रोल रूम से संबंधित जनपदों के जिलाधिकारी, एस0पी0/	• राज्य स्तरीय कन्ट्रोल रूम प्रभारी अधिकारी एवं परियोजना निदेशक इमर्जेन्सी आपरेशन,	0–10 मिनट

	एस0एस0पी0, मुख्य विकास अधिकारी, ए0डी0एम0 (वि/रा) तथा आपदा विशेषज्ञ को रियल टाइम में एस0एम0एस0, फोन तथा ई–मेल के माध्यम से सचेत किया जायेगा।		
द्वितीयक	• 72 घंटे पूर्व प्राप्त चेतावनी के आधार पर परिस्थितियों को नियमित मॉनीटर करना तथा समस्त संबंधित अधिकारियों को अपने क्षेत्र में वज्रपात की स्थिति की संभावना की मॉनीटरिंग करने हेतु निर्देशित करना। • जनपद के आपदा विशेषज्ञ द्वारा दामिनी एप को चेक किया जायेगा एवं ए0डी0एम0 (वि/रा) तथा सभी एस0डी0एम0 को सचेत किया जायेगा। • ए0डी0एम0 (वि/रा) तथा सभी एस0डी0एम0 द्वारा दामिनी एप को चेक किया जाता है तथा सभी तहसीलदारों को सचेत किया जायेगा। • सभी तहसीलदारों द्वारा दामिनी एप को चेक किया जाता है एवं संबंधित लेखपालों को सचेत किया जायेगा। • लेखपालों द्वारा दामिनी एप को चेक किया जायेगा एवं अपने क्षेत्र के 20 किमी0 में चेतावनी की स्थिति होने पर समस्त ग्राम प्रधानों तथा पंचायत सचिवों को सचेत किया जायेगा। • पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा सायरन/लाउडस्पीकर/माइकिंग /मुनादी अथवा अन्य उपलब्ध साधनों के माध्यम से ग्रामवासियों को सचेत किया जायेगा। • दामिनी ऐप के माध्यम से किसी भी क्षेत्र में वज्रपात की पूर्व चेतावनी होने पर सम्बन्धित अधिकारी द्वारा उक्त जानकारी को जनपद स्तरीय कन्ट्रोल रूम में दर्ज कराया जायेगा।	• DDMA तथा राजस्व विभाग। • जनपद स्तरयी कन्ट्रोल रूम में समस्त प्रक्रिया को दर्ज किया जायेगा। • आपदा विशेषज्ञ द्वारा उल्लिखित प्रक्रिया हेतु समन्वय स्थापित किया जायेगा। • ग्राम प्रधान द्वारा पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के माध्यम से सायरन/लाउडस्पीकर/माइकिंग /मुनादी अथवा अन्य उपलब्ध साधनों के माध्यम से ग्रामवासियों को सचेत किया जायेगा।	10–40 मिनट

	• जनपद स्तरीय कन्ट्रोल रूम द्वारा राज्य स्तरीय कन्ट्रोल रूम में उक्त जानकारी को दर्ज कराया जायेग।		
द्वितीय ख	• आपदा विशेषज्ञ द्वारा मुख्य विकास अधिकारी एवं जिला विकास अधिकारी को सचेत किया जायेगा। • जिला विकास अधिकारी द्वारा सभी खण्ड विकास अधिकारियों को सचेत किया जायेगा। • खण्ड विकास अधिकारी द्वारा दामिनी एप को चेक करने के उपरान्त 20 किमी0 में चेतावनी की स्थिति होने पर संबंधित ग्राम विकास अधिकारियों को सचेत किया जायेगा। • ग्राम विकास अधिकारी द्वारा पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान के समन्वय से सायरन/लाउडस्पीकर/माइकिंग /मुनादी अथवा अन्य उपलब्ध साधनों के माध्यम से ग्रामवासियों को सचेत किया जायेगा। • दामिनी ऐप के माध्यम से किसी भी क्षेत्र में वज्रपात की पूर्व चेतावनी होने पर सम्बन्धित अधिकारी द्वारा उक्त जानकारी को जनपद स्तरीय कन्ट्रोल रूम में दर्ज कराया जायेगा। • जनपद स्तरीय कन्ट्रोल रूम द्वारा राज्य स्तरीय कन्ट्रोल रूम में उक्त जानकारी को दर्ज कराया जायेग।	• ग्राम विकास विभाग। • आपदा विशेषज्ञ द्वारा उल्लिखित प्रक्रिया हेतु समन्वय स्थापित किया जायेगा।	10–40 मिनट
द्वितीय ग	• आपदा विशेषज्ञ द्वारा एस0पी0/एस0एस0पी0 तथा सभी डी0एस0पी0 को सचेत किया जायेगा। • डी0एस0पी0 द्वारा सभी सी0ओ0 एवं एस0एच0ओ0 को सचेत किया जायेगा। • एस0एच0ओ0 द्वारा दामिनी एप को चेक करने के उपरान्त संबंधित क्षेत्र की चौकियों तथा गांव में उपलब्ध पुलिस कर्मी के माध्यम से गांव वासियों को सेचत किया जायेगा।	• पुलिस विभाग की कार्यवाही	10–40 मिनट

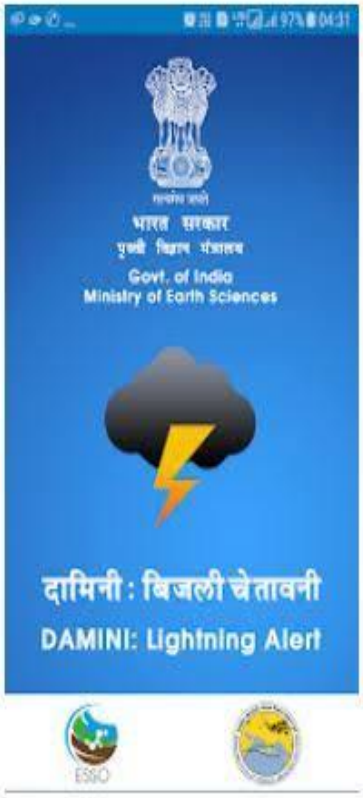
भारत सरकार
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
Govt. of India
Ministry of Earth Sciences
दामिनी : बिजली चेतावनी
DAMINI: Lightning Alert
ESSO

Damini:Lightning Alert
Ministry of Earth Sciences, Govt. of India
Type Location Here
0 - 5 mins
5 - 10 mins
10 - 15 mins
20 KM
40 KM
No lightning warning.
बिजली की चेतावनी नहीं
Google
HOME
ABOUT
INSTRUCTIONS
REFRESH

Damini:Lightning Alert
Ministry of Earth Sciences, Govt. of India
Type Location Here
0 - 5 mins
5 - 10 mins
10 - 15 mins
India
Bangladesh
Sri Lanka
40 KM
No lightning warning.
बिजली की चेतावनी नहीं
Google
HOME
ABOUT
INSTRUCTIONS
REFRESH

Damini:L
Ministry of Earth
About L
Lightning : A N
HOME
ABOUT

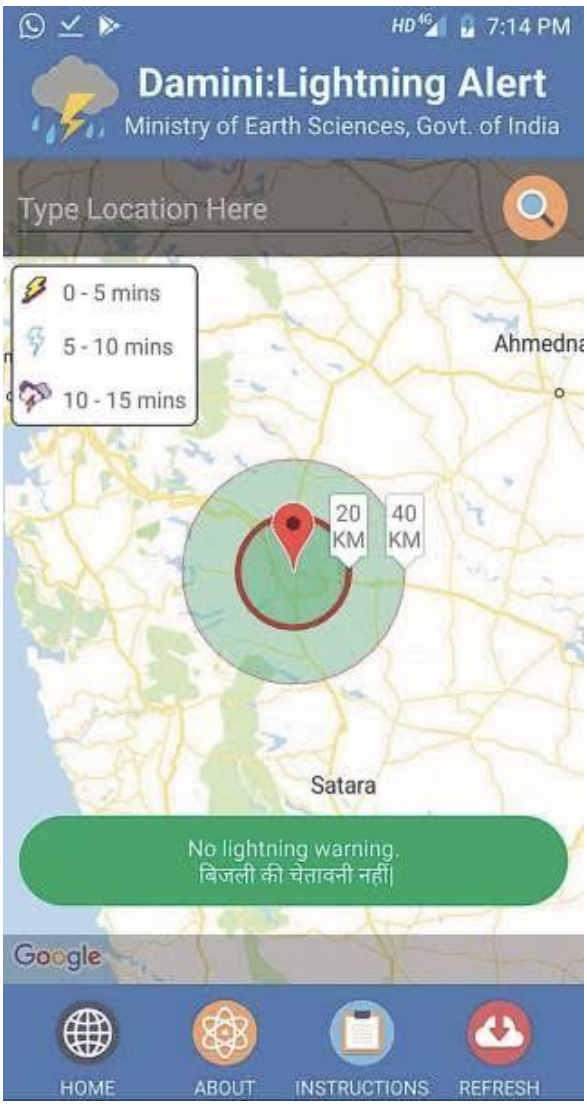
7:14 PM
Damini:Lightning Alert
Ministry of Earth Sciences, Govt. of India
Type Location Here
0 - 5 mins
5 - 10 mins
10 - 15 mins
Ahmedna
20 KM
40 KM
Satara
No lightning warning.
बिजली की चेतावनी नहीं
Google
HOME
ABOUT
INSTRUCTIONS
REFRESH

अर्ली वार्निंग प्रसारण तंत्र– फ्लोचार्ट

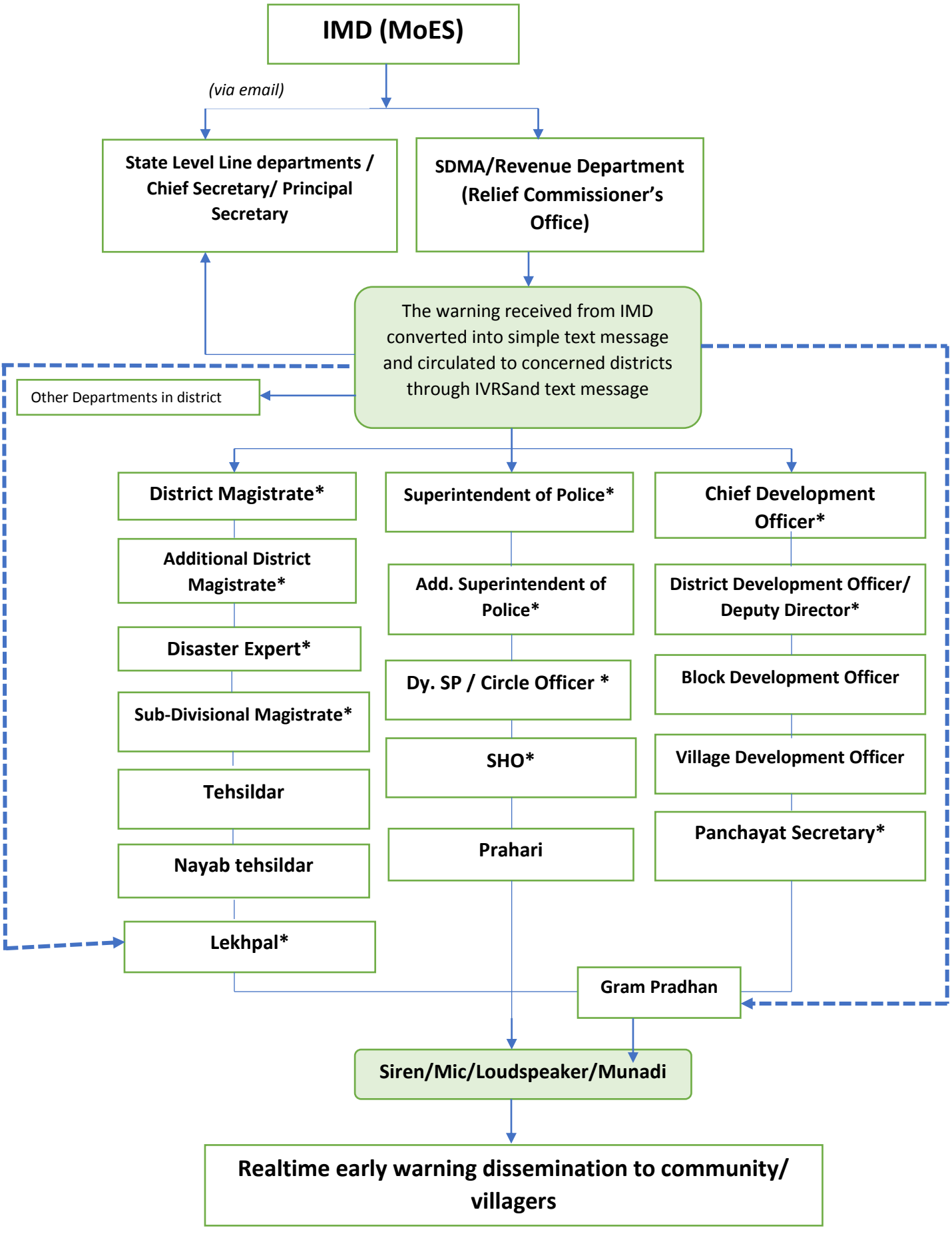

क्या करें क्या न करें

पुशओं की सुरक्षा हेतु–

- घरेलू पशुओं जैसे कि गाय, बकरी, कुत्ता इत्यादि के लिये सुरक्षित स्थान पूर्व से चिन्हित कर लिये जायें।
- वज्रपात से चेतावनी एवं खराब मौसम के समय पशुओं को खुले मैदानों अथवा खेतों में न छोड़ें।
- पशुओं को जलाशय के बहुत समीप न बांधें।
- वज्रपात के समय पशुओं को पेड़ से न बांधें न ही खुले स्थानों पर बांधें।
- पशुओं के गले से लोहे का पट्टा हटा दें।
- **गौशालाओं में प्रायः टीन की छत होती है जो कि वज्रपात को आकर्षित कर सकती है। अतः गौशालओं के ऊपर लाइटनिंग अरेस्टर/कन्डेक्टर अवश्य लगाये जायें।**

वज्रपात से बचाव हेतु सुरक्षा के उपाय : सम्बन्धित सलाह

उत्तर प्रदेश राज्य में आंधी-पानी के साथ वज्रपात गिरने की काफी घटनाएं हो रही हैं। आकाशीय विद्युत से कई लोगों के मरने एवं घायल होने की भी सूचना है। सामान्यतया मानसून पूर्व एवं मानसून की बारिश के समय वज्रपात गिरने की घटनाएं होती हैं। अतएव यह आवश्यक है कि हम वज्रपात से बचाव के लिए थोड़ी सावधानी बरतें। वज्रपात गिरने के समय आम जन को सलाह :-

आसमान में बिजली के चमकने/गरजने/कड़कने के समय

- ✓ यदि आप खुले में हों तो शीघ्रातिशीघ्र किसी पक्के मकान में शरण लें।
- ✓ सफर के दौरान अपने वाहन में ही बने रहें।
- ✓ खिड़कियाँ, दरवाजे, बरामदे एवं छत से दूर रहें।
- ✓ ऐसी वस्तुएं, जो बिजली की सुचालक हैं, उनसे दूर रहें।
- ✓ बिजली के उपकरणों या तार के साथ संपर्क से बचे व बिजली के उपकरणों को बिजली के संपर्क से हटा दें।
- ✓ तालाब और जलाशयों से भी दूरी बनाये रखें।
- ✓ समूह में न खड़े हों, बल्कि अलग-अलग खड़े रहें।
- ✓ यदि आप जंगल में हों तो बौने एवं घने पेड़ों के शरण में चले जायें।
- ✓ बाहर रहने पर धातु से बनी वस्तुओं का उपयोग न करें। बाइक, बिजली या टेलीफोन का खंभा, तार की बाड़, मशीन आदि से दूर रहें।
- ✓ धातु से बने कृषि यंत्र-डंडा आदि से अपने को दूर कर दें।
- ✓ आसमानी बिजली के झटके से घायल होने पर पीड़ित व्यक्ति को तत्काल नजदीकी प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र ले जाने की व्यवस्था की जानी चाहिए।
- ✓ स्थानीय रेडियों अन्य संचार साधनों से मौसम की जानकारी प्राप्त करते रहें।
- ✓ यदि आप खेत खलिहान में काम कर रहे हों और किसी सुरक्षित स्थान की शरण न ले पायें हो तो :-

(क) जहां हैं वहीं रहें, हो सके तो पैरों के नीचे सूखी चीजें जैसे-लकड़ी, प्लास्टिक, बोरा या सूखे पत्ते रख लें।

(ख) दोनों पैरों को आपस में सटा लें एवं दोनों हाथों से कानों को बंद कर अपने सिर को जमीन की तरफ यथा संभव झुका लें तथा सिर को जमीन से न सटाएं।

(ग) जमीन पर कदापि न लेटें।

- ❖ ऊंचे इमारत वाले क्षेत्रों में शरण नहीं लें।
- ❖ साथ ही बिजली एवं टेलीफोन के खंभों के नीचे कदापि शरण नहीं लें, क्योंकि ऊंचे वृक्ष, ऊंची इमारतें एवं टेलीफोन/बिजली के खंभे आसमानी बिजली को अपनी ओर आकर्षित करते हैं।
- ❖ पैदल जा रहे हों तो धातु की डंडी वाले छातों का उपयोग न करें।
- ❖ यदि घर में हों तो पानी का नल, फ्रिज, टेलीफोन आदि को न छुएं।

- ✓ वज्रपात के मामले में मृत्यु का तात्कालिक कारण हृदयाघात है। अगर जरूरी हो तो ''संजीवन क्रिया, प्राथमिक चिकित्सा'' (Cardiopulmonary Resuscitation (CPR)) प्रारम्भ कर दें।
- ✓ ''संजीवन क्रिया, प्राथमिक चिकित्सा'' (Cardiopulmonary Resuscitation (CPR)) देने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि प्रभावित व्यक्ति के शरीर से विद्युत का प्रभाव न हो रहा हो।
- ✓ यह सुनिश्चित कर लें कि पीड़ित की नाड़ी एवं श्वास चल रही हो।

उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी

Email:- upsdma@gmail.com

बज्रपात

आकाशीय बिजली के बारे में जानिए

जब आप घर में हों तो इन निर्देशों का पालन करें

बिजली उपकरणों, स्विचों, तारों और टेलीफोन का प्रयोग ना करें

खिड़की के कांच ,टिन की छत, गीले सामान और लोहे के हैंडलों से दूर रहें।

दीवार के सहारे टेक लगाके न खड़े हों।

स्नान करना तुरंत रोक दें।

जब आप घर से दूर हों तो इन निर्देशों का पालन करें

अगर आपके सर के बाल खड़े हो रहें हो, त्वचा में झुनझुनी हो फौरन सर झुकाकर कान बंद कर ले, क्योकि आपके आस पास बिजली गिरने वाली ही होगी।

सफर के दौरान अपने वाहन में शीशे चढ़ाकर बैठे रहें। मजबूत छत वाले वाहन में रहें, खुली छत वाले वाहन की सवारी ना करें

बज्रपात के समय अगर आप पानी में हैं तो तुरंत बाहर आ जाएं।

किसी बिजली के खम्बे के समीप न खड़े हों

याद रखें :

- आंधी-बिजली की स्थिति मे बाहर खुले मे कोई भी स्थान सुरक्षित नही होता।
- टेलीफोन व पानी की लाईन मे विद्युत प्रवाह हो सकता है।
- बज्रपात के कारण घायल व्यक्ति को छूना पूर्णतः सुरक्षित है। इससे झटका नही लगता।
- बिजली खुली होने से बज्रपात का खतरा नही बढता।
- बिजली गिरने को खिड़की से न देखें: अन्दर के कमरे अपेक्षाकृत अधिक सुरक्षित होते है।
- आंधी बिजली की स्थिति मे वर्षा से बचने के लिये पेड़ के नीचें आश्रय न लें।
- रबर के जूते व टायर बज्रपात से सुरक्षा प्रदान नही करते।
- प्रशिक्षित होने पर ही बज्रपात से पीड़ित व्यक्ति की प्राथमिक चिकित्सा का प्रयास किया जाना चाहियें।